


आवश्यक सूचना

छावनी निर्वाचन नियम 2007 के नियम 10 के अनुसार 01 जुलाई, 2020 को निर्वाचक नियमावली प्रकाशित की गई। इसके पश्चात, CoViD-19 महामारी के कारण प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा के पत्र सं.10/Gen/Election-2020/Cantt/DE/WC/RMS-30283 दिनांक 20.07.2020 के अनुसार दावों, आपत्तियों और सुधारों की प्रक्रिया को रोक दिया गया। पत्र सं.15044/BEs/GEN/DE/WC/2020-21/RMS-30688 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा ने इस कार्यालय को निर्देशित किया है कि छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के नियम 12 के तहत वर्ष 2020 के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी फिर से शुरू करें। नियम 12 के अनुसार नोटिस संख्या दि.छा.परि./6/बी-11/निर्वाचक/संशोधित /2020-21 दिनांक 22 फरवरी 2021, के अर्न्तगत दिल्ली छावनी के निवासियों के लिए मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए, उसमें किसी प्रविष्टि पर आक्षेप हेतु दिनांक 22 फरवरी से 13 मार्च, 2021 तक मतदाता सूची दिल्ली छावनी परिषद के कार्यालय में रखी गयी है।

- कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वह अपना नाम इस सूची में दर्ज कराने का दावा प्ररूप- 3 [नियम 13(2)] में करे।
- कोई भी व्यक्ति जिसका इस सूची में नाम दर्ज है तथा जो अपना अथवा अन्य किसी व्यक्ति जिसका नाम इस सूची में है, को शामिल किए जाने के बारे में आपत्ति प्ररूप-4 [नियम 13(3)] में दर्ज करे।
- तथा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस मतदाता सूची में गलत स्थान पर दर्ज है अथवा गलत विवरण दिया गया है, वह अपना नाम दर्ज कराने अथवा पंजीकृत नाम को ठीक कराने की स्थिति में प्ररूप-4ए [नियम 13(4)] भरे।

उपरोक्त दावे मुख्य अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित कर दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय के प्राप्ति विभाग के अलावा इस वर्ष आम जनता की सुविधा को देखते हुये एवं कोविड-19 महामारी के कारण निम्नलिखित ई-मेल पर प्ररूप-3, प्ररूप-4 एवं प्ररूप-4ए में निर्धारित समयावधि “दिनांक 22 फरवरी से 13 मार्च, 2021 तक” में भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। जुलाई, 2020 के दौरान नियम 12 के तहत पहले दर्ज किए गए दावों, आपत्तियों और सुधारों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें नए सिरे से प्रस्तुत करना होगा।

ई मेल पता : ceodelhivoterlist@gmail.com


मुख्य अधिशासी अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद
(एस.वी.आर. चन्द्र शेखर)

संलग्नक : -

1. प्ररूप- 3 [नियम 13(2)]
2. प्ररूप-4 [नियम 13(3)]
3. प्ररूप-4ए [नियम 13(4)]

सं.दि.छा.परि./6/बी-11/निर्वाचक/संशोधित/2020-2021
कार्यालय दिल्ली छावनी परिषद्
दिल्ली छावनी- 110010

दिनांक 22 फरवरी, 2021

Public Notice

As per Rule 10 of the Cantonment Electoral Rules 2007, Electoral rolls have been published on 01st July, 2020. Thereafter, the process of claims, objections and corrections were stalled vide PDDE letter No.10/Gen/Election/2020/Cant/DE/WC /RMS-302830 dated 20th July, 2020 due to CoViD-19 pandemic. PDDE vide letter No. 15044/BEs/GEN/DE/WC/2020-21/RMS-30688 dated 12.02.2021 directed this office to resume the exercise of preparation of Electoral Rolls for the year 2020 starting from Rule 12 of Cantonment Electoral Rules, 2007. Now, as per Rule 12 of CER 2007, a Notice No.DCB/6/B-11/Elec/Rev/2020-21 dated 22 February, 2021 has been issued for Delhi Cantonment residents, for inclusion of their names in the Electoral Roll or for calling an Objection to any entry therein, the said Electoral roll is kept at Delhi Cantonment Board Office from 22nd February to 13th March, 2021.

- Any person whose name is not listed in the voter list, shall claim in Form-3 [Rule 13 (2)] for inclusion of his name, in the voter list.
- Any objection to the inclusion of a name in the Electoral Roll, in Form-4 [Rule 13 (3)].
- Any person whose name is registered at the wrong place in the voter list or carries incorrect particular/details, shall file objection for registering his name or correcting the particular/details, in Form- 4A [Rule 13 (4)].

Above mentioned Form-3, Form-4 and Form-4A shall be addressed to the Chief Executive Officer, be submitted in Dispatch Section as per the conventional practice followed each year. This year, considering convenience of general public and due to CoViD-19 pandemic, the said Forms may be sent to this office via email address as well as provided below within the prescribed time i.e. 22nd February to 13th March, 2021. The claims, objections and corrections filed under Rule 12 earlier during July, 2020 will not be considered and have to be submitted afresh.

- ceodelhivoterlist@gmail.com


Chief Executive Officer
Delhi Cantonment
(SVR Chandra Sekhar)

Encls:-

1. Form 3 [Rule 13(2)]
2. Form 4 [Rule 13(3)]
3. Form 4A [Rule 13(4)]

No.DBC/6/B-11/Elec./Rev/2020-21
Office of the Cantonment Board
Delhi Cantonment-110010

Dated ..22.. February, 2021

प्ररूप 3
(नियम 13 (2) देखें)
नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन

प्रेषति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली छावनी

महोदय,

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा नाम छावनी के वार्ड सं.

की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

पूरा नाम

पिता/माता/पति का नाम

मेरे निवास स्थान की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं

मकान नं.

गली/मोहल्ला.....

वार्ड संख्या.....

मैं अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में घोषणा करता हूँ।

1. मैं..... छावनी के वार्ड सं.
का निवासी हूँ और मैं 1 मार्च से ठीक पूर्ववर्ती से छः मास से अन्यून की अवधि के लिए निरंतर निवास कर रहा हूँ।
2. पिछले 1 मार्च को मेरी आयु..... वर्ष और मास थी।
3. मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ और मैं निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हूँ।
4. मैंने छावनी के किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में अपने नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।
5. मेरा नाम किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में अंतर्विष्ट नहीं है।

या

कि मेरा नाम नीचे उल्लिखित पते के अंतर्गत छावनी के वार्ड सं. के लिए नामावली में सम्मिलित किया गया है और यदि ऐसा है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे उक्त वार्ड की निर्वाचक नामावली से निकाल दिया जाए।

.....
दावाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान.....

तारीख.....

मैं, ऐसे निर्वाचक के रूप में, जिसका नाम निर्वाचक नामावली के भाग..... में क्रम सं. के अधीन सम्मिलित है, इस दावे का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

.....
निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम()

FORM III

[See rule 13 (2)]

CLAIM APPLICATION FOR INCLUSION OF NAME

To

The Chief Executive Officer
.....Cantonment.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the Ward No. of
the Cantonment.

Name (in full).....

Father's/Mother's/Husband's name.....

Particulars of my place of residence are.

House No.

Street/Mohalla.....

Ward Number.....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief,

(i) that I am resident of Ward No. of the Cantonment and that I have been
continuously residing in the Cantonment for a period of not less than six months immediately preceding
1st March.....

(ii) that my age on the first day March last was.....years and.....Months.

(iii) that I am resident at the address given above and am eligible for registration as an elector.

(iv) that I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other ward of the Cantonment.

(v) that my name has not been included in the electoral roll for any other ward.

or

that my name has been included in the electoral roll for Ward No.....of the Cantonment
under the address mentioned below, and if so, I request that the same may be excluded from the electoral roll of the said
ward.

.....
Signature of thumb impression of the claimant

Place.....

Date.....

I being an elector whose name is included in part.....of the electoral roll under Serial
No.....support this claim and countersign it.

Signature of the elector

Name (in full).....

प्ररूप 4
(नियम 13 (3) देखिए)
नाम सम्मिलित किए जाने के बारे में आक्षेप

प्रेषति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली छावनी

महोदय,

मैं छावनी के वार्ड सं.

की निर्वाचक नामावली के भाग

क्रम सं. पर मेरे नाम

के नाम के सम्मिलित किए जाने के बारे में निम्नलिखित कारण (कारणों) आक्षेप करता हूँ -

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही हैं।

इस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है -

पूरा नाम

*पिता/पति/माता का नाम

क्रम संख्या

भाग संख्या

आक्षेपकर्ता के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख

(डाक का पूरा पता)

मैं, ऐसे निर्वाचक होने के रूप में जिसका नाम निर्वाचक नामावली के भाग

में क्र.सं. के अधीन अंतर्विष्ट हूँ, इस आक्षेप का समर्थन करता हूँ और प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उस भाग को काट दें।

पूरा नाम()

FORM IV

[See rule 13(3)]

OBJECTION TO INCLUSION OF NAME

To

The Chief Executive Officer,
-----Cantonment.

Sir,

I object to the inclusion of my name/the name of

Serial No.....in part.....of the electoral roll for Ward No.....of
the Cantonment for the following reasons(s):

.....
.....

I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of my knowledge nad belief.

Name has been included in the electoral roll for this ward as follows:

Name(in full).....

*Father's/Husband's/Mother's name.....

Serial No.....

Part No.....

.....
Signature / thumb impression of objector

Date.....(full postal address).....

I, being an elector whose name is included in Part.....of the electoral roll under
Serial No.....support this objection and countersign it.

.....
Signature of the Elector

(Name in full).....

***Strike out in-applicable portion.**

प्ररूप 4-क
(नियम 13 (4) देखें)
किसी प्रविष्टि में विशिष्टियों के बारे में आक्षेप

प्रेषति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली छावनी

महोदय,

मैं यह निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि, जो निर्वाचक नामावली के वार्ड सं.

भाग.....

क्रम संख्या..... पर "....."

के रूप में है। सही नहीं है। इसे सही किया जाए जिससे वह निम्नानुसार पढ़ी जा सके.....

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

FORM IV-A

[See Rule 13 (4)]

OBJECTION TO PARTICULARS IN ANY ENTRY

To,

The Chief Executive Officer

..... Cantonment

Sir,

I submit that the entry relating to myself which appears at Serial No..... in Part Ward No..... of the electoral roll as “.....” is not correct. It should be corrected to read as follows:

.....
.....

Signature/thumb impression of elector

Place:.....

Date:.....